

दिनांक	बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश	
	संचिका संख्या-13/न्याय 05-93/2022 <u>947</u>/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0-20643/2011 में दिनांक 12.04.2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:- "..... Heard learned counsel for the petitioners and learned counsel for the State. In this case, the petitioners are seeking relief of being absorbed in the regular Government service in terms of the order passed by the Hon'ble Supreme Court in favour of Non-Formal Instructors prescribing two conditions, namely, the person must have performed three years continuous service preceding the closure of Non-Formal Education Programme and the person must have approached before the Hon'ble Supreme Court or High Court on or before 26.02.2016. Learned counsel for the State submits that save and except certain petitioners rest petitioners satisfy both the conditions in the sense that they have filed this writ petition before this Court in the year 2011 as well as certain petitioners are having the experience of three years of continuous service before closure of Non-Formal Education Project. In such view of the matter, let the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna, examine the case of petitioners individually and if it is found that the petitioner satisfies both the conditions, as stated hereinabove, in such circumstance, he will be rehabilitated in the regular Government service in terms of the order of the Hon'ble Supreme Court. With the aforesaid observations and directions, this writ petition is disposed of.." उपरोक्त पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप लगाते हुये सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0-20643/2011 के याचिकाकर्ता संख्या 09 श्री राजेश कुमार, पिता-श्री रामबाबू साह, ग्राम-प्रतापपट्टी, थाना+प्र0-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एम0जे0सी0 संख्या-529/2022 दायर किया गया।	

ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या-1489/2011 एवं सिविल रिभ्यू संख्या-344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या-32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 में प्रावधानित मुख्य शर्तों यथा-(i) संबंधित अनुदेशक द्वारा समायोजन के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक 26.02.2016 तक कोई वाद दायर किया गया हो तथा (ii) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक अवधि में लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहें हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले वैसे अनुदेशकों की वास्तविक संख्या एवं पहचान स्थापित करने के लिए जिलास्तर पर कमिटी की गयी थी। जिलास्तरीय कमिटी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुदेशकों के समायोजन संबंधित कार्रवाई की गयी है।

एम0जे0सी0 संख्या-529/2022 के याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार, पिता-श्री रामबाबू साह, ग्राम-प्रतापपट्टी, थाना+प्र0-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर के संबंध में अद्यतन बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक 813 दिनांक 26.08.2025 द्वारा निदेश दिया गया।

उक्त निदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 100 दिनांक 19.09.2025 द्वारा एम0जे0सी0 संख्या-529/2022 राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अंकित किया गया है कि याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार का जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के स्तर से ज्ञापांक 514 दिनांक 11.11.2008 से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार अनुदेशक के रूप में उनकी कार्यावधि दिनांक 16.12.1999 से दिनांक 31.03.2001 तक अर्थात् 03 वर्ष से कम है। है। फलतः श्री राजेश कुमार का नाम अनुसंशित सूची में शामिल नहीं किया गया तथा उनके समायोजन पर विचार नहीं किया गया। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता के द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 312 दिनांक 01.11.2008 द्वारा निर्गत एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि अविश्वसनीय एवं संदिग्ध है, क्योंकि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 312 दिनांक 01.11.2008 के द्वारा दूसरे अभ्यर्थी श्री सुरेश प्रसाद यादव का भी अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। इस प्रकार अनुभव प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है एवं कूटरचित है। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में वर्तमान प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 520 दिनांक 15.09.2025 द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताया गया है।

ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 1489/2011 में दिनांक 11.08.2015 को पारित आदेश का

कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-".....We would only like to add that the State policy in respect of Supervisors be adopted mutatis mutandis with only addition that it would apply to the Instructors, who were found working for three years continuously, at the time when the non-formal education scheme was abolished, in which they were. The respondents/writ petitioners do not insist on Class III posts but submits that State Government should take them into service even on Class IV posts as per the vacancies available in different Departments. It surely cannot extend to people, who, at any distinct point of time, had worked for a short period and then left the work. They can have no legitimate claim in this regard."

इस प्रकार स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में निर्धारित शर्तों यथा अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में लगातार 03 वर्ष तक कार्य करने संबंधी शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण जिलास्तरीय समिति, मुजफ्फरपुर द्वारा समायोजन हेतु अनुशंसित नहीं किया गया है। अतएव सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-20643/2011 में दिनांक 12.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में समायोजन की मांग करने वाले याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार, पिता-श्री रामबाबू साह, ग्राम-प्रतापपट्टी, थाना+प्र०-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर का सरकारी सेवा में समायोजन संबंधी दावा एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-20643/2011 में दिनांक 12.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

ह०/-

(अनिल कुमार)

विशेष सचिव-सह- निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक- 13/न्याय 05-93/2022.....१५७ पटना, दिनांक- २५.०९.२०२५

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), मुजफ्फरपुर / श्री राजेश कुमार, पिता-श्री रामबाबू साह, ग्राम-प्रतापपट्टी, थाना+प्र०-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह- निदेशक, जन शिक्षा।

①